उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019

लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन विकासकर्ता द्वारा निर्मित दुर्बल आय वर्ग (ई०डब्लू०एस०) भवन के अन्तरण हेतु विकासकर्ता द्वारा लाभार्थी के पक्ष में निष्पादित लिखत पर रू० 500/- से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हैं।

2. इस अधिसूचना के अधीन छूट तभी अनुमन्य होगी यदि आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश/उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विहित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी ऐसे लिखत पर इस तथ्य की पुष्टि करने के प्रयोजन हेतु साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करेंगे कि, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) मिशन के अधीन निर्मित दुर्बल आय वर्ग भवन के अन्तरण का निष्पादन किया जा रहा है।

आज्ञा से,

वीना कुमारी

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी, अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इसे दिनांक 25-09-2019 के असाधारण गजट के भाग-4 के खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की सौ प्रतियॉ स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(लालू)
संयुक्त सचिव।

संख्या-06/2019/500/94-स्टा०नि०-2-2019-700(46)/2019, दिनांक 25 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश/ अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
(7) आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश इलाहाबाद/महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(8) आवास आयुक्त, आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(9) सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(11) समस्त उपायुक्त स्टाम्प/उप महानिरीक्षक निबंधन, उत्तर प्रदेश।
(12) समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प/सहायक महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(13) विधायी अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।
(14) भाषा अनुभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन।
(15) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लालू)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN

STAMP EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitutions, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no.06/2019/500/94-S.R.-2-2019-700(46)/2019, Dated, 25 September, 2019.

Notification

Order

No.06/2019/500/94-S.R.-2-2019-700(46)/2019

Lucknow, Dated, 25 September, 2019

In exercise of the powers under clause (a) sub section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no.2 of 1899) as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification, stamp duty in excess of rupees 500/- on the instrument executed by the developer in favour of beneficiary for transfer of E.W.S. house built by the developer under Pradhanmantri Avas Yojna (Shahari) Mission.

2- The remit under this notification shall be available if the officer nominated by the Housing Commissioner, Uttar Pradesh, Housing and Development Board/Vice Chairman, Development Authority/C.E.O. Special Area Development Authority/Prescribed Authority, Regulated Area, Uttar Pradesh/C.E.O. Industrial Area Development Authority shall sign such instrument as witness for the purpose of confirming the fact that the transfer of E.W.S. house built under Pradhanmantri Avas Yojna (Shahari) Mission is being executed.

By order,

Veena kumari

Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**